न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अमित कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 107/प्रा0पत्र/2018

1.राधाकिशन आयु 65 वर्ष आ0 श्री भूरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम धनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 131 एल.आर.एक्ट

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

अप्रार्थीगण :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 08/07/2022

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1153/2 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम धनपुरा पटवार मंडल चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। भूमि की नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1553/2 रकबा 4 बीघा पर प्रार्थी आवंटन के समय से निरंतर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की भूमि की तरमीम कब्जे के अनुसार नहीं की गई है और प्रार्थी की भूमि की तरमीम लठा–नक्शा में गलत की हुई, जबकि तरमीम की जानी चाहिए, लेकिन प्रार्थी की भूमि की तरमीम का गलत इन्द्राज किया हुआ है ऐसी स्थिति में वर्तमान नक्शे में की हुई तरमीम के इन्द्राज को विलोपित कर नये सिरे से कब्जे के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी ने दिनांक 11.06.2018 को अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान पटवारी हल्का से करवाया गया तब प्रार्थी की भूमि की तरमीम गलत की हुई होने की जानकारी प्राप्त हुई। नक्शे में जहां प्रार्थी की भूमि की तरमीम की हुई है वहां पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। तरमीम कब्जे के अनुसार नहीं किये जाने से पडोसी काश्तकारान के मध्य विवाद होने की सम्भावना है ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी भूमि की तरमीम अपने कब्जे के अनुरूप करवाना चाहता है। दिनांक 11.06.2018 को प्रार्थी की भूमि की सीमाज्ञान करने पटवारी हल्का मौके पर आये तब पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि आपकी भूमि की तरमीम आपके कब्जे के स्थान पर नहीं हुई है ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का द्वारा उक्त गलत तरमीम की जानकारी देने पर तरमीम को दुरूस्त करवाने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1553/2 वाके ग्राम धनपुरा की तरमीम अपने कब्जे के अनुसार करवाये एवं वर्तमान नक्शे में प्रार्थी की भूमि की तरमीम के गलत इन्द्राज को

उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली (बून्दी),

विलोपित करवा कर कब्जे के अनुरूप नई तरमीम करवाये। लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त इन्द्राज निरस्त एवं दुरूस्त करने के अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम धनपुरा पटवार मंडल चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1553/2 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम धनपुरा की नक्शे में की हुई गलत तरमीम के इन्द्राज को निरस्त कर प्रार्थी के कब्जे के अनुरुप प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर प्रशासन गावों के संग शिविर, चेता मे दिनांक :– 26.10.2021 को जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 संलग्न जमाबंदी स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 अस्वीकार है, स्वयं सिद्व करें। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 लगायत 6 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 7 लगायत 10 कानूनी प्रकिया के बिन्दु है। जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वादग्रस्त आराजीयात की जॉच कार्यालय आदेश क्रमांक :– राजस्व/2019/435 दिनांक :– 21.06.2019 प्रकरण संख्या 017/प्रा0पत्र/2018 बउनवान राधाकिशन गुर्जर बनाम राज0 सरकार में पटवारी हल्का चतरगंज से करवायी गयी ग्राम धनपुरा के आराजी खसरा संख्या 1553/2 का मौका देखा गया। मुताबिक मौका स्थिति प्रार्थी का कब्जाकाश्त संलग्न नजरी नक्शे अनुसार लाल स्याही से दर्शायी गयी डॉट लाइनों अनुसार पाया गया। पूर्व की तरमीम कब्जे अनुसार नहीं है। तरमीम वास्ते जवाब सरकार सादर प्रेषित है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा संख्या 1553/2 की तरमीम राजस्व नक्शे में प्रार्थी के कब्जे से भिन्न जगह पर की गई है। उस तरमीम को निरस्त कर मौके पर प्रार्थी के कब्जे अनुसार किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार व भू0अ0नि0/पटवारी हल्का चतरगंज की रिपोर्ट अनुसार विवादित खसरा नम्बर 1553/2 पर वर्तमान में हो रही तरमीम प्रार्थी के कब्जेनुसार नही है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1553/2 वाके ग्राम धनपुरा पं0म0 चतरगंज की वर्तमान नक्शे में की गई तरमीम को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार हिण्डोली को टीम गठित कर सम्पूर्ण जांच पश्चात प्रार्थी की तरमीम उसके कब्जे अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

आदेश दिये जाते है। तहसीलदार हिण्डोली को टीम गठित कर सम्पूर्ण जांच पश्चात प्रार्थी की तरमीम उसके कब्जे अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)